



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2006/फाल्गुन 9, 1927

No. 180]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2006/PHALGUNA 9, 1927

मंत्रिमंडल सचिवालय

CABINET SECRETARIAT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2006

New Delhi, the 28th February, 2006

का.आ. 261(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

S.O. 261(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) दो सौ चौरासीवां संशोधन नियम, 2006 है।

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Two hundred and eighty fourth Amendment Rules, 2006.

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

(2) They shall come into force at once.

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में, "अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, under the heading "Ministry of Minority Affairs (Alpasankhayak Karya Mantralaya)", for the entry 11, the following entry shall be substituted, namely :—

"11. अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्तर से संबंधित मामले; अल्पसंख्यक संगठन, जिनमें मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान शामिल है।"

"11. Matters pertaining to the socio-economic, cultural and educational status of minorities; minority organisations, including the Maulana Azad Education Foundation."

आ. प. जै. अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति

A. P. J. ABDUL KALAM, President

[फा. सं. 1/22/1/2006-कैबि.]

[F. No. 1/22/1/2006-Cab.]

के. एल. शर्मा, उप सचिव

K. L. SHARMA, Dy. Secy.